संख्या-627/5-10-15-जी-64/10

प्रेषक,

अरविन्द नारायण मिश्र,

सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

परिवार कल्याण,

उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-10 लखनऊ: दिनांक 18 मई, 2015

विषय:-परिवार कल्याण विभाग के स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी तथा जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी के पदों के वेतनमान से सम्बन्धित मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय का कार्यान्वयन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परिवार कल्याण विभाग के स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी तथा जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी के पदों की वेतन विसंगति के निराकरण हेतु मुख्य सचिव समिति को संदर्भित प्रकरण में दी गयी संस्तुतियों पर वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-24/2015/वे0आ0-2-349/दस-8(मु0स0स0)/2008, दिनांक 08 मई, 2015 में लिये गये निर्णय के क्रम में राज्यपाल महोदय उक्त पदों पर निम्नानुसार शैक्षिक अर्हता निर्धारित किये जाने एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के पद पर वर्तमान में अनुमन्य बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/- के स्थान पर तत्काल प्रभाव अर्थात इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/- अनुमन्य कराया जाये। साथ ही उक्त पदों को भरे जाने हेतु वर्तमान भर्ती की प्रक्रिया तथा सीधी भर्ती हेतु निर्धारित अर्हता को बनाये रखते हुए कम्प्यूटर संचालन का व्यवहारिक ज्ञान की अर्हता का समावेश भी किया जाये।

(2) जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी के पद पर वर्तमान में अनुमन्य बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/- के स्थान पर तत्काल प्रभाव

अर्थात इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4800/- अनुमन्य कराया जाये।

2- उपर्युक्त संशोधित वेतनमान में सम्बन्धित कार्मिको का वेतन निर्धारण वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-841/दस-2009-59(एम)/2008, दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 एवं शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-577/दस-59(एम)/2008, दिनांक 29 जून, 2010 के अनुसार किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग की अर्द्ध शा0 संख्या-वे0आ0-1-401/दस-15 दिनांक 18-05-2015 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अरविन्द नारायण मिश्र)
सचिव।

<u>संख्या- 627(1)/5-10-15 तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) वित्त नियंत्रक, महानिदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं/परिवार कल्याण,उ0प्र0।

(2) समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।

(3) समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0 ।

(4) समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0।

(5) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 सचिवालय, लखनऊ।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र नाथ सिंह)
संयुक्त सचिव